न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 33/2010 जिला दौसा

खादी ग्रमोद्योग समिति सिकन्दरा, जरिये मंत्री शिवकान्त बंसल पुत्र श्री जगनलाल बंसल, जाति महाजन, पंजीयन क्रमांकः 264 पंजीकृत कार्यालय ग्रम सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती नारायणी पुत्री स्व. श्री गंगोल्या धर्मपत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल, जाति माली, निवासी ग्रम रायपुरा ब्राह्मणान, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. रामजी लाल दत्तक पुत्र गंगोल्या, जाति माली, निवासी ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
3. कन्हैया लाल पुत्र मांगी लाल , जाति माली, निवासी ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पांडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 3.3.2010

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

निर्णय

दिनांक– 16.1.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलार्थी खादी ग्रमोद्योग समिति सिकन्दरा द्वारा तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 3.3.2010 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2739 रकबा 1 बीघ 3 बिस्वा, किता 3 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 806/2 रकबा 3 बिस्वा, 873 रकबा 3 बिस्वा , 1074 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 1115 रकबा 2 बिस्वा , किता 11 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, 1030/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार नामांतरकरण संख्या 2019 में अंकित हिस्से अनुसार गंगोल्या पुत्र मूस्या माली था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 2019 पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल पि.मु. गंगोल्या के नाम भरा गया जिसे दिनांक 17.6.2004 को तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकार किया गया । तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 17.6.2004 से व्यथित होकर मृतक खातेदार गंगोल्या की पुत्री नारायणी पत्नि कन्हैया लाल द्वारा अपील न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो उनके निर्णय दिनांक 10.8.2007 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण आदेश दिनांक 17.6.2004 निरस्त कर तहसीलदार सिकराय को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि मृतक खातेदार के वैध वारिसान की जॉच कर पुनः निर्णय पारित करें जिससे असंतुष्ट होकर रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल दत्तक पुत्र गंगोल्या द्वारा अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर में प्रस्तुत की गई , जो अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.8.2007 निरस्त करते हुये उन्हें पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देश दिये कि अपील के परिसीमन के संबंध में

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय पारित करें व साथ ही गुणावगुण पर निर्णय करते हुये अपील का निर्णय करें । इस पर न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपील पर पुनः निर्णय दिनांक 7.11.2008 पारित किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण बिना रजिस्टर्ड गोद पत्र व बिना अपीलान्ट (नारायणी) को सुनवाई व सबूत का मौका दिये व बिना मृतक के वारिसान की जॉच किये ही स्वीकार किये जाने से उसे उचित नहीं मानते हुये एवं जहॉ तक हक परित्याग का प्रश्न है, हक परित्याग का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है व हक परित्याग तहसीलदार के समक्ष होना चाहिये । ऐसे हक परित्याग का कोई औचित्य नहीं होना तथा हक परित्याग तीन व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल के पक्ष में बिना किसी कारण खोला गया प्रतीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 17.6.2004 खारिज किया गया एवं प्रकरण मृतक के वारिसान की जॉच कर धारा 135 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया गया है ।

अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2008 द्वारा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.2010 पारित कर प्रार्थिया नारायणी मृतक गंगोल्या की एक मात्र पुत्री होने एवं अप्रार्थी रामजी लाल द्वारा ऐसा कोई प्रमाण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने , जिससे ज्ञात हो सके कि मृतक गंगोल्या की पुत्री नारायणी नहीं है तथा मृतक गंगोल्या द्वारा अप्रार्थी रामजीलाल को गोद लिया था , के दृष्टिगत प्रार्थिया नारायणी मृतक गंगोल्या की ही पुत्री होना तथा अन्य कोई वारिस नहीं होना मानते हुये प्रश्नगत आराजी का नामांतरकरण प्रार्थिया नारायणी के हक में खोले जाने के आदेश दिये गये ।

तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 3.3.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी खादी ग्रमोद्योग समिति सिकन्दरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16.11.2010 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 3.3.2010 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1030 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा अन्य खसरा नम्बरान के साथ गंगोल्या पुत्र मूसा उर्फ मूस्या , नारायण पुत्र छोट्या, रेवडा व रामल्या पुत्रान ग्यारसा तथा छोट्या पुत्र पांच्या माली की खातेदारी की भूमि थी तथा संयुक्त खातेदारी की उक्त कृषि जोत को सहकृषकों ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा था । गंगोल्या ने अपनी खातेदारी एवं हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1030 में से 1/4 हिस्सा उत्तरी तरफ की भूमि अन्य भूमि के साथ खूबचन्द पुत्र छीतरमल कोली को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.2.1971 से विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 8.10.1972 को नामांतरकरण संख्या 586 केता खूबचन्द के नाम तस्दीक कर दिया गया ओर जमाबन्दी संवत 2027 लगायत 2030 में नामांतरकरण की टिप्पणी अंकित करदी गई । केता खूबचन्द द्वारा उक्त भूमि को अवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विहित प्राधिकारी तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 15.11.86 के आदेश द्वारा उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरिक की गई ओर खूबचन्द पुत्र छीतरमल कोली ने उक्त 9 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय

चित्र! अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

पत्र दिनांक 22.11.2006 से अपीलार्थी खादी ग्रमोद्योग समिति को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया ओर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 2239 दिनांक 27.1.2007 को खादी ग्रमोद्योग सिमिति के नाम तस्दीक हो गया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल पुत्र छोट्या को मृतक खातेदार गंगोल्या ने अपने जीवनकाल में गोद लिया था ओर वह गंगोल्या के पुत्र के रूप में रहता है । मृतक खातेदार गंगोल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 2019 तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 17.6.2004 को रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल दत्तक पुत्र गंगोल्या के नाम तस्दीक कर दिया था । रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल दत्तक पुत्र गंगोल्या ने भूमि खसरा नम्बर 1030/1 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से अपने 2/15 हिस्से की भूमि अर्थात 5.86 बिस्वा भूमि दिनांक 22.5.2006 को पंजीकृत विक्रय पत्र से अपीलार्थी खादी ग्रमोद्योग समिति को विक्रय करदी थी और इस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 2190 दिनांक 2.6.2006 को खादी ग्रमोद्योग समिति के नाम तस्दीक हो गया था । उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम अभिलिखित होने के बावजूद भी रेस्पोंडेन्ट नारायणी ने अपने आपको गंगोल्या की पुत्री होना जाहिर करते हुये गंगोल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 2019 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलार्थी खादी ग्रमोद्योग समिति को पक्षकार नहीं बनाया जाकर मात्र रामजी लाल को ही रेस्पोंडेन्ट बनाया गया जिसे दिनांक 10.8.2007 के आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 17.6.2004 निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया । अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय 10.8.2007 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल ने अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को प्रस्तुत की । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.8.2007 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः अति. कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे सर्वप्रथम परिसीमन के संबंध में निर्णय पारित करें व साथ ही गुणावगुण पर निर्णय करते हुये अपील का निर्णय पारित करें । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश की कियान्विति में अति. कलक्टर दौसा ने आदेश दिनांक 7.11.2008 पारित कर नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 17.6.2004 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर धारा 135(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय दिनांक 3.3.2010 पारित कर रेस्पोंडेन्ट नारायणी को मृतक खातेदार गंगोल्या की पुत्री होना मानते हुये तथा अन्य कोई वारिस नहीं होना मानते हुये गंगोल्या की विरासत का नामांतरकरण नारायणी के नाम तस्दीक करने के आदेश दिये हैं जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी एवं तहसीलदार के उक्त आदेश की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 को तहसीलदार द्वारा नारायणी के नाम तस्दीक कर दिया जिसकी भी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी । उनका कहना था कि मृतक खातेदार गंगोल्या की विरासत रेस्पोंडेन्ट नारायणी के नाम आने के बाद नारायणी ने भूमि खसरा नम्बर 1030/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 1/3 हिस्से की भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.8.2010 द्वारा कन्हैया लाल पुत्र मांगी लाल माली को कर दिया जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी निरन्तर काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है । रेस्पोंडेन्ट नारायणी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ भूमि विवादग्रस्त पर आकर खाम दीवारों को तोडने लगे एवं अपीलार्थी के कर्मचारियों द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने जाहिर किया कि नारायणी ने उक्त भूमि कन्हैया लाल को विक्रय करदी है इसलिये वह उन्हें भूमि से बेदखल करके रहेगें ।

चित्रा
प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त

इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.9.2010 को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा उप खण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.9.2010 को ही विवादित भूमि खसरा नम्बर 1030/1 के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया एवं वाद संख्या 72/2010 उनवानी खादी ग्रमोद्योग समिति सिकराय बनाम नारायणी विचाराधीन है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही कानून की विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । विवादित भूमि के विधिवत, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । विवादित भूमि का अपीलार्थी विधिवत क्रेता है ओर काबिज है जिसमें रेस्पोंडेन्ट नारायणी का कोई अधिकार नहीं है । तहसीलदार द्वारा बिना कब्जे की जॉच किये व राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट रामजीलाल के दत्तक पुत्र गंगोल्या होने की समुचित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 3.3.2010 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 कन्हैया लाल ने भूमि के रेकार्डेड खातेदार से क्रय की है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उसके नाम नामांतरकरण तस्दीक होकर राजस्व अभिलेख में नाम अभिलिखित हो चुका है । उनका कहना था कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके हक में तस्दीक नामांतरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामजी लाल को कभी भी भूमि के मृतक खातेदार गंगोल्या ने गोद नहीं लिया था और न ही कोई गोद पत्र तहरीर किया था । उनका कहना था कि विवादित भूमि का खातेदार गंगोल्या था जिसके भोरी देवी, रम्बो देवी व नारायणी देवी तीन पुत्रियॉ थी जिनमें से भोरी देवी व रम्बो देवी फौत हो चुकी है तथा रेस्पोंडेन्ट नारायणी देवी एकमात्र जायन्दा पुत्री है । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नारायणी देवी को ही मृतक खातेदार गंगोल्या की पुत्री होना सिद्ध मानते हुये उसके नाम नामांतरकरण करने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलार्थी विवादित भूमि की विधिवत क्रेता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें समय पर नहीं होना प्रतीत होता है । अतः विलम्ब के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से अपीलान्ट खादी ग्रमोद्योग समिति एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 कन्हैया लाल द्वारा क्रय किये जाने से उनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने के बाद विवादित भूमि के मूल खातेदार गंगोल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 2019 के संबंध में है । सर्वप्रथम विवादित भूमि के मृतक खातेदार गंगोल्या की

विरासत का नामांतरकरण संख्या 2019 रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामजी लाल दत्तक पुत्र गंगोल्या के नाम दिनांक 17.6.2004 को तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकार किया गया । इस नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार गंगोल्या की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नारायणी की अपील न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने आदेश दिनांक 10.8.2007 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 17.6.2004 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक खातेदार के वैध वारिसान की जॉच कर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया । अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.8.2007 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रामजी लाल की अपील में न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.8.2007 को निरस्त करते हुये अपील उन्हें पुनः परिसीमन के संबंध में एवं गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई । इस पर अति. कलक्टर दौसा ने पुनः निर्णय दिनांक 7.11.2008 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण बिना रजिस्टर्ड गोद पत्र व बिना अपीलान्ट (नारायणी) को सुनवाई व सबूत का मौका दिये व बिना मृतक के वारिसान की जॉच किये ही स्वीकार किये जाने से उसे उचित नहीं मानते हुये एवं जहॉ तक हक परित्याग का प्रश्न है, हक परित्याग का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है व हक परित्याग तहसीलदार के समक्ष होना चाहिये । ऐसे हक परित्याग का कोई औचित्य नहीं होना तथा हक परित्याग तीन व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट रामजी लाल के पक्ष में बिना किसी कारण खोला गया प्रतीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 17.6.2004 खारिज किया गया एवं प्रकरण मृतक के वारिसान की जॉच कर धारा 135 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया गया है । इस पर तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.2010 पारित कर प्रार्थिया नारायणी मृतक गंगोल्या की एक मात्र पुत्री होने एवं अप्रार्थी रामजी लाल द्वारा ऐसा कोई प्रमाण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने , जिससे ज्ञात हो सके कि मृतक गंगोल्या की पुत्री नारायणी नहीं है तथा मृतक गंगोल्या द्वारा अप्रार्थी रामजीलाल को गोद लिया था , के दृष्टिगत प्रार्थिया नारायणी मृतक गंगोल्या की ही पुत्री होना तथा अन्य कोई वारिस नहीं होना मानते हुये प्रश्नगत आराजी का नामांतरकरण प्रार्थिया नारायणी के हक में खोले जाने के आदेश दिये गये ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2008 , इसकी अनुपालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.3.2010 जिसके द्वारा श्रीमती नारायणी को मृतक गंगोल्या की उत्तराधिकारी मानते हुए उसके पक्ष में इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश दिया है एवं तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 3.3.2010 की पालना मे इंतकाल संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 नारायणी पुत्री गंगोल्या के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त तीनों निर्णय यथा– अति.कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.08, तहसीलदार के निर्णय दिनांक 3.3.2010 एवं नामांतरकरण संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 के खिलाफ रामजी लाल द्वारा न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर में प्रस्तुत पृथक पृथक तीनों अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध श्रीमती नारायणी द्वारा प्रस्तुत तीनों निगरानियॉ न्यायालय राजस्व मण्डल , अजमेर के निर्णय दिनांक 24.10.2016 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 निरस्त किया गया एवं इंतकाल संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 बहाल रखा गया कि – " इंतकाल से किसी पक्ष को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं

होता है । नियम 133 व 135 के तहत किसी कृषक की मृत्यु होने पर प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का विरासतन इंतकाल स्वीकृत किया जाने का प्रावधान है । वर्तमान प्रकरण में स्थिति पूर्णतया संदेहास्पद है । इंतकाल संख्या 2018 ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इंतकाल संख्या 2019 संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है ओर यह प्रयास किया गया है कि मृतक गंगोल्या की भूमि का इंतकाल रामजी लाल के नाम से स्वीकृत कर दिया जावे जबकि रामजी लाल को अपने हक व अधिकार के लिए गोदपत्र के आधार पर नियमित वाद दायर कर अपने अधिकारों की घोषण करवानी चाहिये थी । विद्वान अति. सम्भागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.2010 वसियत एवं हक त्याग के आधार पर पारित किया है जो प्रकरण की विषयवस्तु नहीं है । वर्तमान प्रार्थिया मृतक गंगोल्या की पुत्री है । गंगोल्या की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूचि के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । मृतक गंगोल्या की कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है'' ।

हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार मृतक गंगोल्या की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2008, तहसीलदार के निर्णय दिनांक 3.3.2010 एवं तहसीलदार के निर्णय की पालना में नारायणी पुत्री गंगोल्या के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 के खिलाफ इस न्यायालय में रामजी लाल द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीले निर्णय दिनांक 13.12.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर अति.कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 7.11.2008, तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 3.3.2010 एवं नामांतरकरण संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 निरस्त कर इंतकाल संख्या 2019 दिनांक 17.6.2010 को बहाल रखा गया था । इस न्यायालय द्वारा तीनों अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध नारायणी पुत्री गंगोल्या द्वारा प्रस्तुत तीनों निगरानियॅा अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 24.10.2016 से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2010 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के निर्णय दिनांक 3.3.2010 की अनुपालना में नारायणी के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 2598 दिनांक 11.3.2010 को बहाल करने से अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 3.3.2010 अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल से बहाल रहा है इसलिये तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 3.3.2010 के खिलाफ इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलान्ट कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश की पालना में तस्दीक नामांतरकरण अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बहाल रखने से अपरोक्ष रूप से अपील खारिज हो गई है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर